न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 88/2019

1. रेवडसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी खोहरा कला तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रेवडसिंह प्रकरण संख्या 445/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री सीताराम मीना, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक: 25.03.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 26.12.2018 को ग्राम खोहरा कलां आ0ख0नं0 237 सिवायचक गैर मुमकिन पहाड के रकबा 0.12 है0 पर संवत 2075 में पुख्ता बाउण्ड्री कर अतिचार करने पर अपीलांट को अतिकमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा की गई अतिकमण की रिपोर्ट गलत व मौके के विपरीत है। जिस खसरा नंबर 237 के रकबा 0.12है0 पर अपीलांट का अतिकमण बताया है, वह राजकीय भूमि नहीं है, बल्कि इस भूमि के लगती हुई अपीलांट की पटटाशुदा आबादी भूमि है। अपीलांट ने अपनी भूमि की पानी के बहाव से सुरक्षा करने हेतु एकतरफा दीवार का निर्माण किया गया है, ताकि पानी अपीलांट की आबादी भूमि व मकान में नहीं भरे। अपीलांट ने बरसाती पानी को रोकने के लिए दीवार का निर्माण किया है। प्रार्थी के द्वारा की गई दीवार भी अपीलांट ने स्वयं की भूमि मे ही बनाई है। ग्राम पंचायत कालीपहाडी ने विधिवत रूप से दिनांक 26.4.1988 को प्रार्थी को पटटा दिया गया है। जिस पर अपीलांट ने मकानात का निर्माण कर रखा है तथा निवास कर रहा है। पटवारी हल्का ने अतिकमित भूमि के संबंध में अपीलांट के समक्ष कोई मौका नहीं देखा गया है ना ही अपीलांट को सीमा समझाई गई। पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा अतिकमण की रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलांट को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया गया है और ना ही पटवारी से जिरह का मौका दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सजा जैसे कठोर निर्णय से पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका नहीं देकर निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अपीलांट ने अतिकमण करना स्वीकार किया है जबकि अपीलांट ना तो उप तहसील कार्यालय सैथल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.19 10:22:06 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुआ और ना ही अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अपीलांट पश्चतावर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई सबूत या दस्तावेज नहीं है जिससे अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होता हो। अपीलांट ने केवल अपनी आबादी भूमि व मकानात की सुरक्षा के लिए व पहाडों से आने वाले तेज बहाव के बरसाती पानी से बचाव के लिए एकतरफा दीवार का निर्माण किया है जो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। बिना प्रदर्शित हुई रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर 0.12है0 पर पुख्ता बाउंड्री किये जाने की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक कालीपहाडी से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक कालीपहाडी की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर पुख्ता बाउण्ड्री कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर स्वयं अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई व सबूत एवं जिरह का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र की जांच उप तहसीलदार सैथल से कराई गई, जिसके अनुसार ग्राम खोहरा कला की आबादी भूमि खसरा नंबर 239 में अपीलांट रेवडसिंह द्वारा मकान बनाकर निवास करना व आबादी भूमि के लगता हुआ खसरा नंबर 237 गैर मुमकिन पहाड स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा लगभग 0.12है. भूमि पर पक्की दीवार एवं तारबंदी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कालीपहाडी से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कालीपहाडी की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0पहाड भूमि पर पुख्ता दीवार बनाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 का नोटिस जारी होने पर नोटिस की प्रति अपीलांट द्वारा स्वयं प्राप्त की गई है साथ ही अतिक्रमी ... अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 26.12.2018 द्वारा बेदखली, पैनल्टी एवं 30 दिवस सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा शपथपत्र पेश करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.19 10:22:06 IST
Reason: SelfAttested

पर शपथपत्र की जांच तहसीलदार सैंथल करवाई गई जिसके अनुसार खसरा नंबर 237 गै0मु0 पहाड रकबा 0.12है0 भूमि पर पक्की दीवार एवं तारबंदी की हुई होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक गै0मु0पहाड भूमि पर अतिकमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.19 10:22:06 IST
Reason: SelfAttested